प्रेस विज्ञप्ति
06.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध सिंडिकेट खनन मामले में कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधित लुधियाना, रूप नगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और पंजाब के अन्य जिलों में स्थित 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाली 30 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 44 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस द्वारा जिला यमुनानगर में रेत, बोल्डर-बजरी और बोल्डर-बजरी-रेत के अवैध खनन से संबंधित आईपीसी, 1860 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर विभिन्न खनन पट्टा धारक कंपनियों जैसे मेसर्स मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी, मेसर्स डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स दिल्ली रॉयल्टी कंपनी, मेसर्स जेएसएम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स पीएस बिल्डटेक के खिलाफ, विभिन्न स्क्रीनिंग प्लांट्स और स्टोन क्रशर और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चलता है कि इस मामले में अवैध खनन गतिविधियों से उत्पन्न कुल अपराध के आगम (पीओसी) 300 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जिसमें से अंगद सिंह मक्कड़ और उनके परिवार का हिस्सा 110 करोड़ रुपये से अधिक है।

मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी नामक संस्था और उसके सहयोगी सिंडिकेट सदस्यों ने अनधिकृत भूमि पर और अनुमत सीमा से आगे जाकर, फर्जी ई-रवाना बनाकर खनन किया। सभी खनन संस्थाओं द्वारा खनन किए गए खनिजों की बिक्री से प्राप्त आय केवल नकद में ही प्राप्त होती थी। इन अवैध गतिविधियों से प्राप्त नकदी को खनन संस्थाओं के लाभार्थियों के बीच संगठित तरीके से वितरित किया जाता था।

इससे पहले, ईडी ने मामले में तलाशी ली थी और पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत दिलबाग सिंह, कुलविंदर सिंह, सुरेंद्र पंवार और अंगद सिंह मक्कड़ को गिरफ्तार किया था और दिलबाग सिंह और अंगद सिंह मक्कड़ सहित उनके सहयोगियों की 122 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसकी पुष्टि बाद में माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा की गई थी।

तलाशी के दौरान, ऐसे अपराध–संकेती साक्ष्य बरामद हुए जिनसे पता चलता है कि सिंडिकेट खनन में शामिल लोगों को ऐसी खनन गतिविधियों से भारी मात्रा में नकदी प्राप्त हो रही थी। इन दस्तावेजों की पुष्टि कर्मचारियों के बयानों से भी हुई और इस सिंडिकेट खनन समूह द्वारा धन शोधन करके अर्जित की गई भारी धनराशि की भी जाँच की गई। इसके अलावा, इस मामले में माननीय विशेष न्यायालय, अंबाला के समक्ष एक अभियोजन शिकायत दायर की गई है, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है।

आगे की जाँच जारी है।